ए डी कोशल, नयायाधिपती, के सामने

मैसर्स भरत सिंह एंड कंपनी,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य, आदि,-प्रतिवादी।

1971 की सिविल रिट संख्या 2857।

12 नवंबर 1971.

पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम (1961 का XVIII) - धारा 10-ए - पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम (19513 का IV) - धारा 97 - पंचायत में निहित भूमि से संबंधित पट्टे, अनुबंध या समझौते को शामिल करने वाली पंचायत का संकल्प -ऐसा प्रस्ताव संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिए बिना रद्द कर दिया जाता है -रद्द करने का आदेश -चाहे क्षेत्राधिकार के बिना -धारा 10-A(1) -चाहे पंजाब ग्राम के प्रावधानों को अप्रभावी बना देता हो। पंचायत अधिनियम पंचायत में निहित भूमि के पट्टे, अनुबंध या समझौते को प्रभावित करता है।

यह निर्धारित किया गया कि यदि किसी पंचायत का संकल्प उसमें निहित या निहित मानी जाने वाली किसी भूमि के संबंध में किए गए पट्टे, अनुबंध या समझौते का प्रतीक है, तो धारा 1-ए की उप-धारा (1) और (2) के प्रावधान पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961, तुरंत इसके प्रति आकर्षित होते हैं। उप-धारा (2) का प्रावधान विशेष रूप से संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिए बिना उप-धारा के तहत आदेश पारित करने वाले कलेक्टर के खिलाफ प्रतिबंध लगाता है: ताकि यदि कलेक्टर द्वारा ऐसा अवसर प्रदान नहीं किया जाता है, तो एक आदेश दिया जा सके। उप-धारा (2) के तहत उनके द्वारा पारित किया गया मामला अवैध है और वास्तव में अधिकार क्षेत्र के बिना है।

(पैरा 4)

यह निर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 10-ए की उप-धारा (1) गैर-अस्थिर खंड से शुरू होती है और इस अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान या किसी अन्य कानून में निहित किसी भी चीज को इसके विपरीत निष्प्रभावी बना देती है। जहाँ तक वे किसी पट्टे, अनुबंध या समझौते की शर्तों को रद्द करने या बदलने से संबंधित हैं, जैसा कि उप-धारा में उल्लिखित है। पंजाब ग्राम

पंचायत अधिनियम "तत्काल लागू कोई अन्य कानून" है और यदि उसमें कोई प्रावधान इस प्रकार संचालित होता है कि किसी पट्टे, अनुबंध या समझौते को प्रभावित करता है, जैसा कि धारा 10-ए की उप-धारा (1) द्वारा परिकल्पित है। भूमि अधिनियम के गैर-विषयक खंड द्वारा इसे अप्रभावी बना दिया गया है।

(पैरा 6)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका, जिसमें प्रार्थना की गई है कि 21 मार्च, 1971 (अनुलग्नक 'ई') के विवादित आदेश को रद्ध करने के लिए सर्टिओरारी, परमादेश या किसी अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए। आगे प्रार्थना करते हुए कि रिट याचिका का निर्णय लंबित रहने तक, विवादित आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी जाए।

याचिकाकर्ता के वकील पी.एस. जैन।

एच. एन. मेहतानी, सहायक महाधिवक्ता (हरियाणा), प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 4 के लिए। प्रतिवादी संख्या 3 के लिए वकील आर.एन. नरूला।

जजमेंट

कोशल, नयायाधिपती.—(1) ग्राम पंचायत, सराय खुआजा, तहसील में बल्लाहगढ़, जिला गुड़गांव (प्रतिवादी संख्या 3 और इसके बाद पंचायत के रूप में जाना जाता है) शामिलात देह भूमि का मालिक है जिसमें एक पथरीला क्षेत्र भी शामिल है। 21 मार्च 1971 को हुई अपनी बैठक में, पंचायत ने एक प्रस्ताव (याचिका का अनुलग्नक "ए") पारित किया, जिसका ऑपरेटिव भाग संदर्भ की सुविधा के लिए नीचे दिया गया है:

"पंचायत को 25 फरवरी, 1971 को पारित प्रस्ताव के अनुसार निम्नलिखित संबंधित व्यक्तियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:

- (1) श्री नंद लाई, पुत्र हरीश चंद, महा लक्ष्मी क्रशर, गुरुकुल, सराय खुआजा के मालिक।
- (2) श्री भरत सिंह एंड कंपनी.
- (3) श्री प्रेम कुमार साहनी, 10 लेडी हार्डिंग रोड, नई दिल्ली।

(4) राम सरूप, 5, साउथ एक्सटेंशन, नई दिल्ली।

यह पंचायत अब पूरी तरह से अपने गांव लकड़रपुर में अपने गैर मुमकिन पहाड़ पर अपने अधिकारों को पांच साल की अवधि के लिए उच्चतम प्रस्ताव देने वाले व्यक्ति को हस्तांतरित करने की स्थिति में है, जिस 5 साल की अवधि के लिए उसने प्रस्ताव मांगे थे और उपरोक्त -उक्त व्यक्तियों ने ऐसे प्रस्ताव दिए थे। ये अधिकार पंचायत खनन रियायत नियम, 1964 के नियम संख्या 61 के प्रावधानों के तहत दिए जा रहे हैं, यानी कि पंचायत को ऐसे अधिकार देने के लिए उचित मुआवजा वसूलने का कानूनी अधिकार है। यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है क्योंकि कुछ कठिनाइयों एवं जटिलताओं के कारण यह आशंका थी कि पहले मिलने वाले सामान्य आर्थिक लाभ के स्थान पर पंचायत को हानि हो सकती है। इस प्रकार, पंचायत उच्चतम प्रस्ताव देने वाले व्यक्ति को पांच साल की अवधि के लिए अधिकृत कब्जेदार से मुआवजा और किराया इकट्ठा करने का अधिकार हस्तांतरित कर देती है। क्योंकि आखिरी सबसे बड़ा ऑफर श्री भरत सिंह एंड कंपनी का है, रु. 15,000 (पंद्रह हजार रुपये) प्रति वर्ष, जो अन्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रस्तावों की तुलना में सबसे अधिक है, ग्राम लकरपुर में गैर मुमकिन पहाड़ शामिलात देह में अपना अधिकार देने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है और इसका मुआवजा रुपये निर्धारित किया गया है। 15,000 प्रति वर्ष, यानी रु. नियम संख्या 61 के अनुसार, पांच वर्षों के लिए 75,000 रुपये और मुआवजे की निर्धारित राशि का भुगतान निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा और इसके अलावा, संकल्प, दिनांक 25 फरवरी, 1971 को इस संकल्प के साथ पढ़ा जा सकता है। मुआवज़ा देने की विधि का विवरण यह है कि मुआवज़ा प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में अग्रिम भुगतान किया जाएगा, इस वर्ष के मुआवज़े का एक/चौथाई हिस्सा आज मौके पर एकत्र किया जा रहा है और शेष तीन/चौथाई मुआवजा दिया जा चुका है। 28 मार्च, 1971 तक भुगतान करने पर सहमति हुई। हालाँकि, फर्म भरत सिंह एंड कंपनी, 151 सराय जुलेना, नई दिल्ली-25 पर लागू एक अतिरिक्त शर्त यह होगी कि उन्हें पेड़ों और बजरी को कोई नुकसान पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं होगा। जो इस पोखर पर मौजूद है और गाँवों के मवेशी पहले की तरह चरेंगे, और कोई रुकावट नहीं होगी। इस समझौते की अवधि 21 मार्च, 1971 से 20 मार्च, 1976 तक होगी और इस अवधि के दौरान दोनों पक्ष ऊपर निर्धारित शर्तों से बंधे रहेंगे और किसी भी पक्ष को इस समझौते में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा।

- (2) यह संकल्प (इसके बाद संकल्प के रूप में संदर्भित) और इसके प्रारंभिक वाक्य में उल्लिखित दिनांक 25 फरवरी, 1971 को पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम (इसके बाद इसे पंचायत अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 97 के तहत निलंबित कर दिया गया था और 'श्री भरत सिंह के साथ ग्राम पंचायत की सहमति से लीज या समझौता' पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 की धारा 10-ए के प्रावधानों के तहत रद्व कर दिया गया था (इसके बाद इसे भूमि अधिनियम कहा जाएगा) एक आदेश द्वारा, दिनांक 23 जुलाई, 1971 (याचिका का अनुबंध "ई") "कलेक्टर और उपायुक्त, गुड़गांव" द्वारा पारित किया गया। इस आदेश को भारत सिंह एंड कंपनी (उपरोक्त निकाले गए संकल्प में उल्लिखित और इसके बाद कंपनी कहा जाएगा) द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत मेरे समक्ष याचिका में कई आधारों पर चुनौती दी गई है, जिनमें से केवल निम्नलिखित को निर्धारित करने की आवश्यकता है क्योंकि वे याचिका के निपटारे के लिए पर्याप्त हैं:
- (ए) जहां तक यह आदेश पंचायत अधिनियम की धारा 97 के तहत दिया गया है, यह अधिकार क्षेत्र के बिना और अवैध है क्योंकि इसे पंचायत से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त किए बिना और कंपनी को सुने बिना पारित किया गया था।
- (बी) जहां तक इसे भूमि अधिनियम की धारा 10-ए के तहत पारित किया गया है, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है क्योंकि इसे कंपनी को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना पारित किया गया था।
- (3) मैं पहले आधार (बी) पर विचार करूंगा। हाथों पर यह स्वीकार किया गया है कि विवादित आदेश पारित करने से पहले, कंपनी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था और यह परिस्थित विवादित आदेश की जड़ पर हमला करती है। भूमि अधिनियम की धारा 10-ए की उपधारा (1) और (2) को लाभ के साथ पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है:
- "10-A. (1) इस अधिनियम या शामिलात कानून या उस समय लागू किसी अन्य कानून में किसी भी बात के बावजूद, कलेक्टर अपने जिले की पंचायत से, उसके द्वारा किए गए किसी पट्टे, अनुबंध या समझौते का रिकॉर्ड मांग सकता है। किसी भी पंचायत द्वारा निहित या उसमें निहित समझी जाने वाली भूमि के संबंध में, चाहे ऐसा पट्टा, अनुबंध या समझौता पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में किया गया हो। , 1964 और ऐसे पट्टे, अनुबंध या समझौते की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से ऐसे रिकॉर्ड की जांच करें।

- (2) जहां, उप-धारा (1) के तहत रिकॉर्ड की जांच करने पर और ऐसी जांच करने के बाद, यदि कोई हो, जैसा कि वह उचित समझे, कलेक्टर संतुष्ट है कि ऐसा पट्टा, अनुबंध या समझौता: -
- (i) इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए किया गया है;
 - (ii) धोखाधड़ी या तथ्यों को छिपाने के परिणामस्वरूप दर्ज किया गया है; या
 - (iii) जैसा कि निर्धारित है, पंचायत के हितों के लिए हानिकारक है;

कलेक्टर, उपरोक्त किसी भी बात के बावजूद, पट्टा, अनुबंध या समझौते को रद्ध कर सकता है या उसकी शर्तों में बदलाव कर सकता है, बिना शर्त या ऐसी शर्तों के अधीन जो वह उचित समझे: बशर्ते कि इस उपधारा के तहत कोई भी आदेश कलेक्टर द्वारा बिना अवसर दिए पारित नहीं किया जाएगा"

- (4) प्रावधान उप-धारा 3 (2) डी विशेष रूप से 2 संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिए बिना उप-धारा के तहत आदेश पारित करने वाले कलेक्टर पर रोक लगाता है; ताकि यदि कलेक्टर द्वारा ऐसा अवसर प्रदान नहीं किया जाता है, तो उप-धारा (2) के तहत उनके द्वारा पारित आदेश अवैध होगा और वास्तव में अधिकार क्षेत्र के बिना होगा यदि संकल्प में पंचायत द्वारा किया गया पट्टा, अनुबंध या समझौता शामिल है। किसी भी भूमि के निहित होने या उसमें निहित समझे जाने के संबंध में, उप-धारा (1) और (2) के प्रावधान तुरंत उस पर आकर्षित होते हैं और विवादित आदेश ख़राब हो जाता है क्योंकि यह परंतुक द्वारा अधिनियमित रोक को आकर्षित करता है। जहां तक आदेश भूमि अधिनियम की धारा 10-ए के तहत किया गया है, इसलिए, इसे क्षेत्राधिकार के बिना होने के कारण रद्द कर दिया जाना चाहिए, बशर्ते कि संकल्प ऊपर उल्लिखित आवश्यकता को पूरा करता हो।
- (5) पंचायत और हिरयाणा राज्य और उसके अधिकारियों के विद्वान वकील, जो मेरे समक्ष प्रतिवादी हैं, ने तर्क दिया कि संकल्प के तहत दिया गया कार्यकाल पट्टे के बराबर नहीं है। यदि ऐसा है भी, तो यह निश्चित रूप से एक अनुबंध है या, किसी भी स्थिति में, पंचायत द्वारा उसमें निहित भूमि के संबंध में किया गया एक समझौता है। दरअसल, यह प्रस्ताव पंचायत द्वारा कंपनी के साथ

किए गए लेन-देन को ही एक समझौता कहता है। इस संबंध में संकल्प के अंतिम वाक्य का संदर्भ दिया जा सकता है जिसमें कहा गया है:

"इस समझौते की अवधि 21 मार्च, 1971 से 20 मार्च, 1976 तक होगी और इस अवधि के दौरान दोनों पक्ष ऊपर निर्धारित शर्तों से बंधे रहेंगे और किसी भी पक्ष को इस समझौते में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा।"

यह लेन-देन पंचायत द्वारा कंपनी के साथ किया जाता है। यह पंचायत में निहित या निहित समझी जाने वाली भूमि के संबंध में है। यह एक समझौते के बराबर भी है। इस प्रकार भूमि अधिनियम की धारा 10-ए की उपधारा (1) की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए, इसके विपरीत उत्तरदाताओं की ओर से उठाए गए विवाद को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

- (6) भूमि अधिनियम की धारा 10-ए की उपधारा (1) के प्रावधानों को देखते हुए, मुझे नहीं लगता कि आधार (ए) पर विचार करने की आवश्यकता है। वह उप-धारा गैर-अस्थिर खंड से शुरू होती है और भूमि अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान या उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी भी चीज को निरर्थक बना देती है, जहां तक वे रद्ध करने या बदलाव से संबंधित हैं। पट्टे, अनुबंध या समझौते की शर्तें जैसे कि उपधारा में उल्लिखित हैं। पंचायत अधिनियम "तत्काल लागू कोई अन्य कानून" है और यदि उसमें कोई प्रावधान इस प्रकार संचालित होता है कि किसी पट्टे, अनुबंध या समझौते को प्रभावित करता है, जैसा कि भूमि की धारा 10-ए की उप-धारा (1) द्वारा परिकल्पित है। अधिनियम, वही गैर-प्रमुख खंड द्वारा अप्रभावी बना दिया गया है।
- (7) अब जहां तक आक्षेपित आदेश पंचायत अधिनियम की धारा 97 के तहत प्रस्ताव को निलंबित करता है, स्पष्ट रूप से संकल्प में सन्निहित समझौते को रद्ध करने के लिए गणना की जाती है। वह समझौता भूमि अधिनियम की धारा 10-ए की उप-धारा (1) द्वारा परिकल्पित प्रकार का है, इसलिए गैर-प्रतिरोधी खंड तुरंत उस पर आकर्षित होता है और विवादित आदेश इस हद तक अवैध हो जाता है कि यह उसमें हस्तक्षेप करता है।
- (8) परिणाम यह है कि विवादित आदेश अवैध और रिट क्षेत्राधिकार है, चाहे इसे भूमि अधिनियम की धारा 10-ए के प्रावधानों के तहत पारित किया गया माना जाए या पंचायत अधिनियम की धारा

97 के तहत एक माना जाए। इसलिए, यह अवश्य होना चाहिए और इसे रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता को उत्तरदाताओं नंबर 1 और 3 से कार्यवाही की लागत का भुगतान करना होगा। काउंसिल का शुल्क रु100.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है तािक वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सृष्टि प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) कुरूक्षेत्र, हरियाणा